

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 48/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/12/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>देवचन्द - मन्नेहा पिता मूलचन्द मन्नी प्रार्थी श्री / श्रीमती गंगावती w/o देव मन्जीराम, तारा - राजमूल पतिव पिता मन्जीराम, पुकाश मन्मता, पिता वी मन्जीराम पिता श्री ना. व. जाधिर (राजमूल) भाता गंगावती P/O चिकली</p> <p>निवासी- चिकली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम चिकली स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 112 113, 116 0.27 0.36 0.73 115 180 182 0.79 0.51 0.45</p> <p>कुल कीता 0.6 कुल रकबा 3.1100 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम चिकली स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 112 113, 116, 115, 180, 182 0.27 0.36 0.73 0.79 0.51 0.45</p> <p>कुल कीता 0.6 रकबा 3.1100 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 2000/- रुपये अक्षरे श्री ए. जय राम म प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>